UPMT010014842026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–670/2026
सत्यवीर सिंह प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–579/2024, धारा 318(4),338,336(3),340(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना वृन्दावन, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक / अभियुक्त **सत्यवीर सिंह** की ओर से अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा विवेक शर्मा, निवासी फरीदाबाद (हरियाणा), वृन्दावन में जमीन खरीदना चाहता था, इसी दौरान रवि कुमार यादव, निवासी दिल्ली वादी से मिला और उसने वृन्दावन में जमीन दिलवाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद दिनांक 18.08.2024 को वादी को अपने मौसेरे भाई सुखदेव शास्त्री के साथ आना था तो उसी दिनांक को रवि कुमार यादव भी जमीन दिखाने वादी के साथ ही गाड़ी में आया और मौजा राजपुर बाँगर में जमीन दिखाई, जो वादी को पसंद आ गई, उस समय वहीं पर पदम सिंह चौहान, सुनील गौतम, मुन्नालाल, जवाहर सिंह से भी मिलवाया और इन लोगों ने कहा कि हम सभी लोग मिलकर जमीन क्रय–विक्रय का धंधा करते हैं। दिनांक 20.09.2024 को मथुरा आकर टोकन मनी दिए जाने के लिए रवि यादव ने फोन किया तो उक्त दिनांक को वादी व उसका मौसेरा भाई सुखदेव शास्त्री मथुरा कचहरी आए, जहाँ रवि यादव, पदम सिंह चौहान, सुनील गौतम, मुन्नालाल, जवाहर सिंह मिले, लेकिन जमीन मालिक यशवीर सिंह राघव नहीं आए। कुछ देर बाद एक सत्यवीर सिंह जमीन के कागजात लेकर आया, जिसे यशवीर सिंह राघव का चाचा बताया और सभी लोगों ने कहा कि यशवीर सिंह राघव की रिश्तेदारी में किसी लड़के की मौत हो गई है, इसलिए चाचा सत्यवीर को भजा है। उसी समय रजिस्ट्री कार्यालय, मथुरा में एक रसीदनामा टाइप कराया और एक लाख रूपए टोकन मनी इन लोगों को वादी ने उसी समय दिया। दिनांक 04.10.2024 को रजिस्ट्री कार्यालय, मथुरा पर वादी को बयाने में धनराशि देने के लिए बुलाया, वहाँ पर जमीन मालिक यशवीर सिंह नामक जमीन मालिक से उक्त सभी लोगों ने मिलवाया और रजिस्ट्री कार्यालय, मथुरा में इकरारनामा/रसीदनामा इन सभी लोगों ने टाइप कराया तथा सभी लोगों के भरोसा दिलाए जाने पर वादी ने जमीन के सौदे की कुल तय रकम मुवलिग चार करोड़ रूपए में एडवांस में पाँच चैकों के माध्यम से कुल चालीस लाख रूपए इन्हें प्रदान कर दिए। दिनांक 16.10.2024 को पाँच–पाँच लाख रूपए के दो चैक तथा दिनांक 28.10.2024 को पाँच–पाँच लाख रूपए के चैक भी इन लोगों द्वारा कैश करा लिए गए। मुवलिग बीस लाख रूपए का चैक बाउंस हो गया। दिनांक 03.12.2024 को रवि यादव, वीरेन्द्र सिंह पहलवान नामक व्यक्ति के साथ वादी के कार्यालय पर आया और बाउंस चैक के बदले में ये लोग बीस लाख रूपए नकद ले गए। दिनांक 04.12.2024 को वादी के मौसेरे भाई सुखदेव शास्त्री ने रवि यादव को फोन किया तो बातचीत में कुछ शक हुआ, इस पर वादी, सुखदेव शास्त्री ने

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.10 17:22:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वृन्दावन स्थित अपने परिचित यदुनन्दन शर्मा को पूरा मामला बताया तो उन्होंने कहा कि यशवीर सिंह राघव को वह जानते हैं, आप लोग आ जाओ, मिलवा देंगे। दिनांक 06.12.2024 को वादी व सुखदेव शास्त्री मथुरा आए और यदुनन्दन शर्मा के माध्यम से यशवीर सिंह राघव मिले तो दंग रह गए, जिस व्यक्ति ने खुद को यशवीर सिंह राघव बताकर जमीन का सौदा किया था, वह व्यक्ति दूसरा था। रसीदनामा पर लगे फोटो व असली यशवीर सिंह राघव अलग–अलग व्यक्ति हैं। जमीन के वास्तविक मालिक यशवीर सिंह वादी की मदद को तैयार हैं। वादी को उक्त सभी लोगों ने उनकी जमीन के दस्तावेजों की कूटरचना कर धोखाधड़ी, जालसाजी व षड्यंत्रपूर्वक वादी से इकतालीस लाख रूपए हड़प लिए हैं। वादी ने अपने बैंक खाते की डिटेल्स देखीं तो यशवीर सिंह के नाम से बयाने में दिए गए सभी चैक वीरेन्द्र सिंह नाम के व्यक्ति के खाते में कैश हुए हैं।

3– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–दाण्डिक को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देतु हुए मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि उस पर लगाये गये आरोप झूंठे, बनावटी व काल्पनिक हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा मात्र यह कह देने से कि जमीन मालिक का आवेदक चाचा था और वह कागज लेकर आया, इससे उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो रहा। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व अन्य किसी न्यायालय में न लगाया, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। घटना दिनांक 20.09.2024 की बतायी जाती है तथा वादी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को दिये प्रार्थनापत्र पर कोई तिथि अंकित नहीं है। उक्त प्रार्थनापत्र पर दिनांक 09.11.2024 को सब इस्पेक्टर दुष्यंत कौशिक से जांच करायी जाती है। जांच में भी उसका कहीं जिक्र तक नहीं किया है, न उसके खिलाफ कोई आरोप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगाया गया है, फिर भी विवेचक उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। उक्त जांच के महीनों बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। जाँच में आवेदक / अभियुक्त का नाम न होते हुए भी उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिख दिया जाता है। उक्त मामले में अन्य अभियुक्तगण के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हो चुका है तथा उसके खिलाफ विवेचना प्रचलित का उल्लेख किया है। उसके खिलाफ कोई भी साक्ष्य व गवाह नहीं है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, न उसकी कोई भूमिका है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही सजायाफ्ता है। अन्य अभियुक्तगण की जमानत इस न्यायालय से हो चुकी है तथा अन्य अभियुक्तगण के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। अतः उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण एक गिरोह के रूप में कार्य करते हैं और सभी की अपराध में सक्रिय व समान भूमिका है। प्रकरण में आवेदक /अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा विवेचना में कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है, आवेदक/अभियुक्त फरार चल रहा है। सह–अभियुक्तगण रवि यादव आदि की जमानतें

नियमित तौर पर स्वीकार हुई हैं, जबकि आवेदक/अभियुक्त का यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत का पात्र नहीं है।

5– विधि व्यवस्था **अशोक कुमार शर्मा प्रति स्टेट आफ राजस्थान 1980 सी०आर० एल०जे० राजस्थान 54** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि आवेदक प्रथम दृष्टया यह दर्शाने में विफल रहता है कि उसे मात्र लज्जित करने के उद्देश्य से झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसी दशा में विफल रहने पर उसकी अंतरिम जमानत स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी व अन्य पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण द्वारा धोखाधड़ी व षडयंत्रपूर्वक यशवीर सिंह की जमीन को बेचने का सौदा वादी के साथ कर वादी से इक्तालीस लाख रूपये हड़प लेना आदि आक्षेपित है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्टतः नामित है। सह अभियुक्तगण की नियमित जमानत स्वीकार हुई है, जबकि आवेदक/अभियुक्त का यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है, तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, निरस्त किया जाता है।

दिनांक–10.03.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.U.P. 1910

खेम सिंह, पी०एस०